रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102024-258078 CG-MH-E-19102024-258078

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4216] No. 4216]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

आदेश

मुंबई, 17 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4585(अ).—केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खंड (बी) और नियम 24 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा दिनांक 22 मई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 16 मई, 2013 के आदेश संख्या का.आ.1317(अ.) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उपरोक्त आदेश में-

(a) उक्त आदेश में, शीर्षक "भाग- I - सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'बी' के तहत क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् : --

6801 GI/2024 (1)

1	2	3	4	5	6
" 8	नाभिकीय ईंधन	मुख्य कार्यपालक,	मुख्य कार्यपालक,	सभी	सचिव,
	सम्मिश्र,	नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र		परमाणु ऊर्जा विभाग
	हैदराबाद में पद				".

(b) उक्त आदेश में, शीर्षक "भाग- II - सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'सी' के तहत क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात : --

"13 नाभिकीय ईंधन मुख्य प्रशासनिक मुख्य प्रशासनिक सभी मुख्य कार्यपालक, सम्मिश्र, अधिकारी अथवा मुख्य अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक और लेखा प्रशासनिक और लेखा प्रशासनिक और लेखा सम्मिश्र ".	1	2	3	4	5	6
कार्यपालक (ए), नाभिकीय मुख्य कार्यपालक (ए), ईंधन सम्मिश्र नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	" 13	सम्मिश्र,	अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी अथवा उप मुख्य कार्यपालक (ए), नाभिकीय	अधिकारी अथवा मुख्य प्रशासनिक और लेखा अधिकारी अथवा उप मुख्य कार्यपालक (ए),	सभी	नाभिकीय ईंधन

[फा. सं. VIG-30/4/2024-DAE]

ए. आर. सुले, अपर सचिव

नोट: प्रमुख आदेश दिनांक 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का.आ. 1317(अ.) के तहत प्रकाशित किया गया था।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

ORDER

Mumbai, the 17th October, 2024

S.O. 4585(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Department of Atomic Energy, *vide* number S.O.1317(E), dated the 16th May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd May, 2013, namely:-

In the said Order,-

(a) in Part-I - General Central Service, Group 'B', for serial number 8 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
" 8	Posts in the Nuclear Fuel	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex	Chief Executive, Nuclear Fuel Complex	All	Secretary, Department of Atomic Energy ";
	Complex, Hyderabad				

(b) in Part-II - General Central Service, Group 'C', for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1	2	3	4	5	6
"13	Posts in the	Chief Administrative	Chief Administrative	All	Chief Executive, Nuclear
	Nuclear Fuel	Officer or Chief	Officer or Chief		Fuel Complex ".
	Complex,	Administrative and	Administrative and		
	Hyderabad	Accounts Officer or	Accounts Officer or		
		Deputy Chief Executive	Deputy Chief		
		(A), Nuclear Fuel	Executive (A), Nuclear		
		Complex	Fuel Complex		

[F. No. VIG-30/4/2024-DAE]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1317(E), dated the 16th May, 2013.